## न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)

. पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 40/2018 ई.रे.

सवा उर्फ सवसिंह पिता रकबा मीणा नि. दयालपुरा तहसील बडीसादडी

– वादी

बनाम

1– उंकार पिता रकबा मीणा नि. दयालपुरा तहसील बडीसादडी
2– उप–पंजीयक बडीसादडी
3– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधि.
वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

// निर्णय // दिनांक :– 26/09/2023

वादी की ओर सें प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि मौजा दयालपुरा पटवार हल्का महुडा में नई खाता संख्या 5 पुरानी 4,5,6 की आराजी नम्बर की आराजी नं. 132 रकबा 0.2000, आ.न. 138 रकबा 0.0900, आ.नं. 149/65 रकबा 0.3900, आ.नं. 150/131 रकबा 0.1600, आ.नं. 151/134 रकबा 0.2000, आ.नं. 152/136 रकबा 0.4400, आ.नं. 154/137 रकबा 0.1800, आ.नं. 158/10 रकबा 1.3400 कुल किता 8 रकबा 3.000 हैक्ट. स्थित है। वादी सवा उर्फ सवसिंह व प्रतिवादी नं. 1 उंकार दोनों सगे भाई है। जो की दोनों रकबा जी मीणा के पुत्र है। उंकार सबसे बडा पुत्र होकर परिवार में करता धरता था। रकबा जी की मुत्यु के पश्चात राजस्व रिकोर्ड में उंकार का ही नाम दर्ज कर दिया गया क्योकि उस समय सवा नाबालिग था। जबकि उक्त आराजीयात को मौके पर वर्तमान में दोनो भाईयों के बीच आपसी बटवाड़ा कर पालीया पडी हुई है। यह कि उक्त आराजीयात पर तभी से ही वादी का कब्जा होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त आराजीयात पर वादी का 1/2 हक हिस्सा निहीत है तथा वादी अपनी कब्जे काश्त आराजीयात पर शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। वादी का राजस्व रिकोर्ड में सहवन और भूलवश नाम दर्ज नही किया क्योकि उंकार सबसे बडा पुत्र होकर परिवार में करता धरता था और पुराने समय में बडे पुत्र करता धरता होने से उसीं का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जाता था। जबकि उक्त वादग्रस्त आराजीयात में वादी का 1/2 हक हिस्सा निहित है। वादी का उक्त आराजीयात में 1/2 हक हिस्सा निहित किया जाना न्यायोचित है।

बाद जाँच प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड ई.रे. किया जाकर प्रतिवादीगण को नियमानुसार जरिए नोटीस तलब किया गया प्रतिवादीगण बाद तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से प्रकरण में तनकियात कायम नही कर सिधे ही साक्ष्य वादी ली गयी तथा साक्ष्य वादी में वादी सवा, किशना, रामसिंह के शपथ पत्र पेश हुये।

बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया । जमाबंदी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 5 पर उंकार पिता रकबा मीणा के खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.11.03 17:56:51 IST
Reason: SelfAttested

। वाद पत्र अनुसार वादी सवा उर्फ सवसिंह और प्रतिवादी नं. 1 उंकार दोनो सगे भाई है। उंकार सबसे बडा पुत्र होने के नाते वादग्रस्त आराजीयात उसके नाम पर दर्ज हो गई उस समय सवा उर्फ सवसिंह नाबालिग होने से खातेदारी में नाम दर्ज नहीं हो पाया । इस बात की पुष्टि गवाह के शपथपत्र किशना, रामसिंह के बयानों से सिद्ध होती है। वाद ग्रस्त आराजीयात पृश्तैनी पैतृक होने से वादी को 1/2 हिस्से का घोषणा का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः वादी वादी स्वीकार किया जाकर मौजा दयालपुरा पटवार हल्का महुडा में नई खाता संख्या 5 पुरानी 4,5,6 की आराजी नम्बर की आराजी नं. 132 रकबा 0.2000, आ.न. 138 रकबा 0.0900, आ.नं. 149/65 रकबा 0.3900, आ.नं. 150/131 रकबा 0.1600, आ.नं. 151/134 रकबा 0.2000, आ.नं. 152/136 रकबा 0.4400, आ.नं. 154/137 रकबा 0.1800, आ.नं. 158/10 रकबा 1.3400 कुल किता 8 रकबा 3.000 हैक्ट. में वादी 1/2 हिस्सा घाषित किया जाता है। धारा 188 की दाद वादीगण साबित करने में असफल रहने से खारिज की जाती है। तदअनुसार डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।
निर्णय आज दिनांक 26/09/2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिन्दूबाला राजावत)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.11.03 17:56:51 IST
Reason: SelfAttested